अ.33 4-2000-10 लाख फा.

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

APP
Crll

अदालत कलेक्टर दौसा मुकाम बांदीकुई

मुकदमा नामा• अपील बनाम सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत श्यालावास कलां नं० 08/ सन् 2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	13/02/25 पत्रावली पेश हुई। वकीलों द्वारा कार्य बहिष्कार/P.O. सा० राज्य कार्य में व्यस्त होने से जनरल तारीख पेशी दो गई गत आदेश की पालना में दिनांक 06/03/25 को पेश हो। हस्ताक्षर रीडर 06/03/2025 पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप०। रेस्पोंडेन्ट से 3 व 4 बावजूद अखबार साया तामील उपस्थित नहीं आये। ना ही उनका कोई विधिक प्रतिनिधि उप० आया। अतः रेस्पोंडेन्ट संख्या 3 व 4 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। रेस्पोंडेन्ट संख्या 2, 5, 6 द्वारा जवाब/उज्र/आपत्ति पेश नहीं कर प्रकरण मे सीधी बहस करनी चाही। ना ही रेस्पोंडेन्ट संख्या 01 की ओर से प्रकरण में कोई जवाब/उज्र/आपत्ति पेश की गयी है। हमने वकील अपीलांट एवं रेस्पोंडेन्ट से 2, 5, 6 के वकील द्वारा प्रकरण में की गयी बहस को सुना। वास्ते आदेश पत्रावली दिनांक 07/03/2025 को पेश हो। [signature] उप खण्ड अधिकारी बांदीकुई (दौसा) 07/03/25 पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप०। हमने बहस एवं संलग्न उभयपक्ष वकील पर मनन किया। पत्रावली उभयपक्ष पर दस्तावेजों का अवलोकन किया। बहस उभयपक्ष एवं अपील प्रा-पत्र एवं पत्रावली के अवलोकन मनन करने एवं [signature]	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहका[illegible] हुक्म [illegible] में जा[illegible]
	के आधार पर प्रार्थी प्रा०पत्र नामान्तकरण अपील स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी प्रार्थना पत्र अपील विरुद्ध नामान्तकरण संख्या 357 दिनांक 25/06/2018 ग्राम पंचायत श्यालावास कलां स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बांदीकुई को रिमाण्ड किया जाता है कि उक्त नामान्तकरण की विधिवत सुनवाई कर पुनः नामान्तकरण फैसल करें। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पालना हेतु तहसीलदार बांदीकुई को तहरीर जारी हो पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। [signature] 07/3/25 उप खण्ड अधिकारी बांदीकुई (दौसा)	

न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट बांदीकुई (दौसा)

PH:-01420-228487 E-Mail:-sdo-ban-dau-rj@nic.in

प्रकरण संख्या :–08/2022
प्रकरण दायर दिनांकः– 14.11.2022
प्रकरण निर्णय दिनांकः– 06.03.2025

उनवान

1. दर्शना पुत्री स्व. सुरेश चंद जाति बैरवा निवासी नया बास बाढ बगीची बांदीकुई तह. बांदीकुई जिला दौसा

:–अपीलांट

बनाम

1. सरपंच/सचिव, ग्राम पंचायत श्यालावास कलां, पंचायत समिति बांदीकुई जिला दौसा।
2. कमला देवी पत्नि स्व0 सुरेश चंद
3. रेशमा पुत्री स्व. सुरेश चंद
4. सुनीता पुत्री स्व. सुरेश चंद
5. हरिओम पुत्र स्व. सुरेश चंद
6. हरिश पुत्र स्व. सुरेश चंद

:– रेस्पोडेन्ट

:: निर्णयः:

अपील विरूद्ध नामान्तकरण संख्या 357 दिनांक 25.06.2018 ग्राम पंचायत श्यालावास कलां पंचायत समिति बांदीकुई जिला दौसा

अपीलांटी द्वारा विरूद्ध रेस्पोडेन्ट जर्ये वकील राजेश कुमार के प्रार्थना पत्र नामान्तकरण अपील इस आशय से पेश किया है कि अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 02 लगायत 06 के पिता सुरेश चंद पुत्र खैराती लाल जाति बैरवा निवासी नया बास बाढ बगीची तहसील बसवा की खातेदारी की भूमि खसरा नं. 140 से 142, 148, 149, 655/144, 684/143, वाके ग्राम बाढ बगीची तहसील बसवा हाल तहसील बांदीकुई में स्थित है जो कि अपीलांट के बाबा/दादा की कब्जे काश्त की भूमि रही है अपीलांट के बाबा/दादा के मरने के बाद अपीलांट के पिता सुरेश चंद के नाम विरासत में प्राप्त हुयी है अपीलांट के पिता सुरेश चंद का स्वर्गवास दिनांक 18.07.2017 को हो जाने के उपरांत रेस्पो0 नं. 02 लगायत 6 ने रेस्पो0 नं. 1 से मिली भगत करके अपीलांट के नाम को छिपाते हुये वार्ड मैम्बर लीलावती पत्नि धनराज बैरवा से मिली भगत करके गलत व फर्जी वारिसनामा/शपथ पत्र पेश करके रेस्पो0 नं. 2 लगायत 6 ने अपने नाम अपीलांट के पिता की खातेदारी की भूमि से उसके हक व हिस्से व अधिकार को समाप्त करते हुये गलत तरीके फर्जी तौर पर अपने नाम नामान्तकरण दिनांक 25.06.2018 को खुलवा लिया जिसका रेस्पो0 नं0 2 लगायत 6 को कोई हक व अधिकार नहीं था अपीलांट को उक्त फर्जी खुलवाये गये नामान्तकरण की जानकारी दिनांक 10.11.2022 को होने पर नामान्तकरण की नकल लेने के लिये आवेदन दिनांक 11.11.2022 को प्राप्त हुयी है इससे पूर्व अपीलांट को उक्त नामान्तकरण की कोई जानकारी नहीं रही है जानकारी के आधार पर अपील अंदर मियाद पेश है– फिर भी डीले

Scanned with OKEN Scanner

कन्डोन करवाये जाने के लिये अलग से प्रार्थना पत्र धारा 5 लिमिटेशन एक्ट पेश कर डीले कन्डोन करवाकर अपील अंदर मियाद पेश है– उक्त निर्णय नामान्तकरण के विरूद्ध अपील निम्न उज्रात के साथ पेश हैः–

1. यह है कि निर्णय मातहत ग्राम पंचायत दिनांक 25.06.2018 विधि विरूद्ध एवं रूयेदाद मिसल होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

2. यह है कि अपीलांट मृतक सुरेश चंद पुत्र खैराती लाल जाति बैरवा निवासी नयाबास बाढ बगीची बांदीकुई तहसील बसवा जिला दौसा की जायंदा पुत्री संतान है जो कि उसकी विधिक वारिस है इस कारण अपीलांट को मृतक सुरेश चंद की भूमि में हक व अधिकारात जन्म लेते ही प्राप्त हो गये है। उक्त तथ्यों को छिपाते हुये रेस्पो0 नं. 2 लगायत 6 ने फर्जी व गलत तरीके से तथ्यों को छिपाते हुये नामान्तकरण दर्ज करवाया है जो कि शुरू से ही काले अदम गैर मौशर प्रभावहीन व शून्य होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

3. यह है कि उक्त भूमि पर अपीलांट का मृतक सुरेश चंद की भूमि में 1/7 हिस्सा है व अपने हिस्से पर काबिज काश्त रहकर मुफीद होती चली आ रही है। रेस्पो0 नं. 1 ने बिना कोई कोई विधिक जांच किये व बिना कोई आस पास के पडोसियो से पूछताछ किये ही रेस्पो. नं. 2 लगायत 6 से मिली भगत करके गलत तौर पर विधि विपरीत नामान्तकरण संख्या 357 दिनांक 25.06.2018 खोला गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है।

4. यह है कि रेस्पो. नं. 1 ने मौके पर जाकर सही तथ्यों की जांच नहीं की केवल मात्र वार्ड मैम्बर लीलावती पत्नि धनराज बैरवा के द्वारा पेश किये गये वारिस प्रमाण पत्र एवं रेस्पो. नं. 2 लगायत 6 के द्वारा अपीलांट का नाम छिपाते हुये पेश किये शपथ पत्र के आधार पर रेस्पो. नं. 2 लगायत 6 के हक में नामान्तकरण दिनांक 25.06.2018 को खोला गया है गलत हे व निरस्त किये जाने योग्य है।

5. यह है कि उक्त नामान्तकरण की अपीलांट को पूर्व में नहीं रही सर्व प्रथम अपीलांट को उक्त फर्जी खुलवाये गये नामान्तकरण की जानकारी दिनांक 10.11.2022 को होने पर नामान्तकरण की नकल लेने के लिये आवेदन दिनांक 11.11.2022 को प्राप्त हुयी है इससे पूर्व अपीलांट को उक्त नामान्तकरण की कोई जानकारी नहीं रही है जानकारी के आधार पर अपील अंदर मियाद पेश है। फिर भी डीले कन्डोन करवाये जाने के लिये अलग से प्रार्थना पत्र धारा 5 लिमिटेशन एक्ट पेश कर डीले कन्डोन करवाकर अपील अंदर मियाद पेश है।

अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर निर्णय मातहत न्यायालय ग्राम पंचायत श्यालावास कलां पंचायत समिति बांदीकुई जिला दौसा नामान्तकरण संख्या 357 दिनांक 25.06.2018 को निरस्त फरमाया जावें। प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट पेश किया कि उक्त नामान्तकरण संख्या 357 दिनांक 25.06.2018 की प्रार्थीया को पूर्व में नहीं रही सर्वप्रथम प्रार्थीया को उक्त फर्जी खुलवाये गये नामान्तकरण की जानकारी दिनांक 10.11.2022 को होने पर नामान्तकरण की नकल लेने के लिये आवेदन दिनांक 11.11.2022 को पेश किया जो नकल दिनांक 11.11.2022 को प्राप्त हुयी है इससे पूर्व प्रार्थीया को उक्त नामान्तकरण की कोई जानकारी नहीं रही है जानकारी के आधार पर अपील अंदर मियाद पेश है

लगातार–

जानकारी होते ही निगरानी अंदर मियाद पेश है। प्रार्थीया महिला है तथा कानून प्रकिया में नही समझती इस कारण बिना जानकारी के जो समय दिनांक 25.06.2018 से 11.11.2022 तक का जो समय निकला है उसे कन्डोन किया जाकर जानकारी के आधार दिनांक 11.11.2022 से प्रार्थना पत्र अंदर मियाद माने जाने के आदेश फरमाया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार फरमाया जाकर बिना जानकारी के जो समय निकला है उसे कन्डोन किया जाकर जानकारी के आधार दिनांक 11.11.2022 से प्रार्थना पत्र अंदर मियाद माने जाने के आदेश फरमाया जावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट जरिये नोटिस विधिवत की गयी। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 की ओर से एड. श्री पूरणमल बैरवा उपस्थित आये एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 02, 05, 06 की ओर से अधिवक्ता श्री ऋषभदेव जैमन उपस्थित आये। रेस्पोडेन्ट संख्या 03, 04 बावजूद अखबार साया तामील उपस्थित नहीं आने पर रेस्पोडेन्ट संख्या 03, 04 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। रेस्पोडेन्ट संख्या 02, 05, 06 की ओर से जर्ये वकील श्री ऋषभदेव जैमन के प्रार्थना पत्र जैर आदेश 41 नियम 27 जा.दी. का पेश कर अवगत करवाया कि उक्त उनवानी अपील में न्यायोचित निस्तारण के लिये प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात को अभिलेख पर लिया जाना न्यायोचित एवं लाजिमी है अपीलांट जो कि विवाहित है तथा उसके दो बच्चे एवं पति मौजूद है उनका परित्याग करके किसी दीगर सख्स के साथ रह रही है जिसकी बाबत गुमशुदा पर एवं हलफनामा तथा पंचायत द्वारा रेस्पोडेन्ट को प्रेषित नोटिस एवं उसका जबाब की फोटो प्रति है अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि उपरोक्त दस्तावेजात को रिकॉर्ड पर लिये जाने बाबत निवेदन किया उक्त प्रार्थना पत्र का अपीलांटी वकील द्वारा जबाब प्रा. पत्र पेश नहीं कर सीधे बहस की गयी। बहस उभयपक्ष वकील पर मनन करने एवं दस्तावेजो के अवलोकन के आधार पर प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट प्रा. पत्र जैर आदेश 41 नियम 27 जा.दी. स्वीकार किया जाकर प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज प्रकरण में रिकॉर्ड लिये जाने के आदेश दिये गये।

रेस्पोडेन्ट वकील द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट बाबत कोई जबाब प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया ना ही कोई उज्र/आपत्ति पेश की है। हमने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट पर उभयपक्ष वकील को सुना। अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र अपील नामान्तकरण पेश किया गया है जिसका गुणावगुण के आधार पर विधिवत निस्तारण किया जाना है। अतः प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मयाद न्यायहित में स्वीकार किया जाता है तथा अपीलांट द्वारा अपील प्रार्थना पत्र पेश करने में हुए विलंब को क्षमा किया जाता है।

रेस्पोडेन्ट वकील द्वारा प्रार्थना पत्र अपील बाबत कोई जबाब/आपत्ति/उज्र पेश नहीं कर सीधे बहस की गयी। हमने प्रार्थना पत्र अपील नामान्तकरण पर उभयपक्ष वकील बहस सुनी। हमने प्रार्थना पत्र अपील नामान्तकरण, पत्रावली में संलग्न दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत श्यालावास कलां द्वारा नामान्तकरण फैसल करते समय अपीलांट को सुनवाई हेतु विधिवत नोटिस जारी नहीं किये गये तथा अपीलांट को सुनवाई एवं साक्ष्य सबूत पेश करने का पर्याप्त अवसर नहीं दिया जाकर विधिसम्मत निर्णय पारित नहीं किया गया। अतः उभयपक्ष वकील

Scanned with OKEN Scanner

बहस पर मनन करने एवं पत्रावली के अवलोकन के आधार पर अपीलांट अपील स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः आदेश है कि अपीलांट अपील विरूद्ध नामान्तकरण संख्या 357 दिनांक 25.06.2018 ग्राम पंचायत श्यालावास स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत श्यालावास कलां के निर्णय दिनांक 25.06.2018 द्वारा खोले गये नामान्तकरण संख्या 357 को निरस्त किया जाकर तहसीलदार बांदीकुई को इस निर्देश के रिमाण्ड किया जाता है कि उक्त नामान्तकरण की विधिवत सुनवाई कर पुनः नामान्तकरण फैसल करें। पालना हेतु तहसीलदार बांदीकुई को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। मेरे द्वारा निर्णय आज दिनांक 07.03.2025 को लिखा एवं सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया।

07/3/25

(रामसिंह राजावत)
आर.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

Scanned with OKEN Scanner